



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 आषाढ़ 1948 (श10)
(सं० पटना 799) पटना वृहस्पतिवार 16 जुलाई 2026

बिहार पुलिस मुख्यालय
(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)

कार्यालय आदेश
7 जुलाई 2026

सं० 16-01-15-2025/पी05/75—बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-539, दिनांक-10.07.2025 द्वारा, विज्ञापन संख्या-01/2024 के अन्तर्गत आशु सहायक अवर निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु अंतिम रूप से चयनित एवं अनुशंसित अभ्यर्थी श्री चन्दन कुमार कश्यप, अनुक्रमांक-2579, पिता-स्वर्गीय विजय प्रसाद कश्यप, ग्राम-ईदगाह मुहल्ला वार्ड न0-22 डिहरी ऑन-सोन, पोस्ट-डिहरी ऑन-सोन, जिला-रोहतास, पिन-821307 को आशु सहायक अवर निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार पुलिस हस्तक प्रपत्र संख्या-101 में पूर्ववृत्त एवं चरित्र सत्यापन कराया गया। सत्यापन प्रपत्र की कंडिका-7 (क्या आवेदक कभी दांडिक (फौजदारी) या सिविल (दीवानी) मामले में अभियुक्त रहा है अथवा कभी कारावास भुगत चुका है ? विवरण दें।) में अभ्यर्थी द्वारा Reg. No-276/2025, 31-जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-14, सासाराम माननीय न्यायालय में लम्बित अंकित किया गया था, जो IPC-308/34 के अन्तर्गत है। किन्तु सत्यापन-पत्र में पुलिस निरीक्षक द्वारा अंकित टिप्पणी में प्रतिवेदित किया गया था कि अभ्यर्थी के विरुद्ध डिहरी नगर थाना में कोई काण्ड दर्ज नहीं पाया। साथ ही सत्यापन प्रपत्र पुलिस अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित और मुहरित नहीं था। उक्त के आलोक में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए पुलिस अधीक्षक का हस्ताक्षरित सत्यापन प्रपत्र की माँग पुलिस उप-महानिरीक्षक, शाहाबाद क्षेत्र, डिहरी ऑन-सोन की गयी।

2. पुलिस उप-महानिरीक्षक, शाहाबाद क्षेत्र, डिहरी ऑन-सोन का पत्रांक-1324/सा0श0, दिनांक-28.03.2026 द्वारा उक्त अभ्यर्थी का सत्यापन प्रपत्र संख्या-101 उपलब्ध कराया गया, जिसमें पूर्व प्रतिवेदन को ही पुलिस अधीक्षक, रोहतास द्वारा हस्ताक्षरित कर उपलब्ध कराया गया, जो अभ्यर्थी द्वारा लगभग 06 माह पूर्व भरा गया था। साथ

ही जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-14, सासाराम का कार्यालय पत्रांक-233, दिनांक-09.03.2026 द्वारा बताया गया कि उक्त वाद अभियोजन साक्ष्य हेतु माननीय न्यायालय में लंबित है और अभियुक्त के विरुद्ध अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिला है।

3. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या-6831, दिनांक-23.07.2020 की कंडिका-38.6 के अनुसार-In case when fact has been truthfully declared in character verification form regarding pendency of a criminal case of trivial nature, employer, in facts and circumstances of the case, in its discretion may appoint the candidate subject to decision of such case.

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं0-6831, दिनांक-23.07.2020 की कंडिका-38.6 के आलोक में निर्णय लिये जाने हेतु उक्त अभ्यर्थी का पूर्ववृत्त एवं चरित्र सत्यापन प्रपत्र संख्या-101 में नये सिरे से अभ्यर्थी द्वारा भरा अद्यतन चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं उक्त वाद की अद्यतन स्थिति की माँग पुलिस उप-महानिरीक्षक, शाहाबाद क्षेत्र, डिहरी ऑन-सोन से किया गया।

5. पुलिस उप-महानिरीक्षक, शाहाबाद क्षेत्र, डिहरी ऑन-सोन का पत्रांक-2185/सा0श0, दिनांक-21.05.2026 द्वारा अभ्यर्थी चन्दन कुमार कश्यप का पुलिस अधीक्षक, रोहतास द्वारा हस्ताक्षरित अद्यतन सत्यापन प्रतिवेदन प्रपत्र संख्या-101 में उपलब्ध कराया गया है कि-आवेदक चन्दन कुमार कश्यप, पिता-स्वर्गीय विजय प्रसाद कश्यप, ईदगाह मुहल्ला वार्ड न0-22, ग्रा0+पो0+थाना-डिहरी ऑन-सोन, जिला-रोहतास के नाम व पता का सत्यापन किया। सत्यापन के क्रम में यह बात प्रकाश में आयी है कि श्री चन्दन कुमार कश्यप के द्वारा आवेदन में दिये गये उक्त पते पर ये वर्तमान में निवास नहीं कर रहे हैं। जाँच के क्रम में यह स्पष्ट हुआ कि उक्त पते पर मौजूद आवेदक का मकान बिक चुका है। जाँच के क्रम में आवेदक से संपर्क किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि डिहरी नगर थाना क्षेत्र के वंदना होटल के गली में वार्ड न0-29 में चितरंजन जी के मकान में किराये पर रहते हैं। आवेदक के पूर्व आपराधिक चरित्र के संबंध में उपलब्ध थाना अभिलेख एवं **ICJS Portal** पर जाँच की गई जिसमें पाया गया कि आवेदक के विरुद्ध डिहरी नगर थाना में अभी तक आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। वहीं आवेदन पत्र में वर्णित आवेदक के आपराधिक इतिहास के संबंध में आवेदन पत्र में वर्णित आपराधिक इतिहास मामला रजि0 नं0-276/25 माननीय जिला एवं सत्र न्यायिक के न्यायालय में लंबित है जो **IPC** की धारा-308/34 के अन्तर्गत है, उक्त कांड के अद्यतन स्थिति के संबंध में माननीय न्यायालय के **Portal E-Court** तथा आवेदक से जाँच किया गया तो ज्ञात हुआ कि माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक-08.04.2026 को पारित आदेश में उक्त कांड के अभियुक्तों को सभी आरोपों से मुक्त किया है तथा केस को निष्पादित किया गया है। इस संबंध में आवेदक द्वारा न्यायालय के आदेश की अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है जो आवेदन के साथ मूल रूप से संलग्न है।

6. माननीय 14-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रोहतास, सासाराम द्वारा सत्रवाद सं0-276/2025 में दिनांक-08.04.2026 को पारित आदेश निम्नवत् है-As the prosecution failed to prove the guilt of the accused persons under Sec. 308/34 IPC beyond all reasonable doubts, the trial facing accused persons above named acquitted from this case. They are also discharged from the liability of their respective bail bonds.

7. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना द्वारा प्रकाशित विज्ञापन सं0-01/2024 के अन्तर्गत आशु सहायक अवर निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थी श्री चन्दन कुमार कश्यप, पिता-स्वर्गीय विजय प्रसाद कश्यप, ग्राम-ईदगाह मुहल्ला वार्ड न0-22 डिहरी ऑन-सोन, पोस्ट-डिहरी ऑन-सोन, जिला-रोहतास, पिन-821307, अनुक्रमांक-2579, मेधा क्रमांक-46, जन्म तिथि-08.01.1992, अनुशंसित कोटि/मूल कोटि-BC-OH, को अधोलिखित शर्तों के अधीन बिहार पुलिस आशु संवर्ग के अंतर्गत आशु सहायक अवर निरीक्षक के पद पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन स्तर-05 एवं समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है:-

- (i) यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा समर्पित शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों को सही मानकर इस शर्त पर की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पायी जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।
- (ii) बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं0-1964, दिनांक-31.08.2005 एवं संकल्प सं0-768, दिनांक-03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
- (iii) उक्त अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अंदर बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना में अपना योगदान समर्पित करेंगे।
- (iv) अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- (v) अभ्यर्थी द्वारा फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र मूल में प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (vi) पूर्व से नियोजित रहने की स्थिति में विरमन आदेश/त्यागपत्र स्वीकृति आदेश समर्पित नहीं किये जाने पर योगदान स्वीकार नहीं किया जायेगा।

आदेश से,
पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 799-571+100-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>